



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2446]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2017/भाद्र 3, 1939

No. 2446]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2017/BHADRA 3, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2017

का.आ. 2790(अ).—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29.12.2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4221 (अ) में शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, मद संख्या (ग) (i) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1) श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव,  
अपर सचिव (यू टी),  
गृह मंत्रालय,  
भारत सरकार”

[फा.सं. 14011/23/2014-दिल्ली-II]

श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना दिनांक 05.09.2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2239(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 05.11.2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2827(अ), दिनांक 24.02.2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 609(अ), दिनांक 05.03.2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 681(अ), दिनांक 08.07.2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.1848(अ), दिनांक 07.01.2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44(अ), दिनांक 17.03.2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1152(अ), दिनांक 22.04.2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1486(अ), दिनांक 08.12.2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3684(अ) तथा दिनांक 29.12.2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4221(अ) के तहत संशोधित की गई।

399

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2017

**S.O. 2790(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 4221(E) dated 29-12-2016 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in paragraph 1, for Item No.(c)(i) and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted namely:—

- “(i) Sh. Praveen Kumar Srivastava  
Additional Secretary (UT)  
Ministry of Home Affairs  
Government of India”

[F. No. 14011/23/2014-Delhi-II)

PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA, Addl. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 2239(E) dated 5-9-2014 and subsequently amended vide S.O. 2827(E) dated 5-11-2014, S.O. 609(E) dated 24-2-2015, S.O. 681(E) dated 5-3-2015, S.O. 1848(E) dated 8-7-2015, S.O. 44(E) dated 7-1-2016, S.O. 1152(E) dated 17-3-2016, S.O. 1486(E) dated 22-4-2016, S.O. 3684(E) dated 8-12-2016 and S.O. 4221(E) dated 29-12-2016.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH  
SUKUL  
Date: 2017.08.28 22:38:36  
+05'30'